आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Coconut Development Board

CDB Assistance for Procurement Centres by Coconut FPOs

नारियल विकास बोर्ड नारियल किसान उत्पादक संगठनों के लिए खरीद केंद्र बनाने की लागत का एक हिस्सा लौटाता है, ताकि किसान मिलकर बेच सकें और बेहतर दाम तय कर सकें।

क्या मिल सकता है

खरीद केंद्र पर खर्च हुई राशि का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में, अधिकतम 3 लाख रुपये तक। इसमें अर्ध-स्थायी या स्थायी शेड या गोदाम, प्लेटफ़ॉर्म तराज़ू, बुनियादी कार्यालय फ़र्नीचर, लेखा बही, छिलका उतारने की मशीनें, लोहे की जाली की टोकरियाँ, ट्रॉली और कटाई के बाद की दूसरी संभाल की सामग्री आती है। शेड, गोदाम, तराज़ू और कार्यालय फ़र्नीचर के साथ लेखा बही ज़रूरी मदें हैं।

किसके लिए है

नारियल उत्पादकों के किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ, उत्पादक कंपनियों सहित), जिन्होंने कम से कम एक साल मिलकर काम किया है और जो बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।

मुख्य शर्तें

- एफपीओ कम से कम एक साल पुराना हो, बोर्ड में वैध पंजीकरण हो और उसने सामूहिक गतिविधियाँ की हों।
- केंद्र पके नारियल, कोमल नारियल, कोपरा या नारियल की भूसी की खरीद और आपूर्ति जैसे सामूहिक काम के लिए होना चाहिए।
- सरकार के 10,000 एफपीओ कार्यक्रम के एफपीओ तब आवेदन कर सकते हैं जब क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन उनकी सिफ़ारिश करे और वे कम से कम 10,000 फलदार पेड़ों वाले नारियल किसानों की सूची दें।
- बोर्ड में पंजीकृत न होने वाले ऐसे एफपीओ को बोर्ड में उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकरण कराना होता है, जिसमें कम से कम 250 किसान शेयरधारक और दिशानिर्देशों की माँगी पूँजी होनी चाहिए।
- एफपीओ उसी परियोजना के लिए किसी और स्रोत से सब्सिडी या अनुदान न ले, और राशि केवल प्रतिपूर्ति के रूप में मिलती है।

दस्तावेज़

- बोर्ड में एफपीओ का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- मात्रा और मूल्य के साथ सामूहिक गतिविधियों का ब्योरा
- भूमि का दस्तावेज़, या कम से कम पाँच साल का पट्टा और मालिक की निर्माण की सहमति
- ढाँचे की योजना और अनुमान, और भवन की अनुमति
- उपकरण और फ़र्नीचर के भाव-पत्र, और जियो-टैग वाला स्थान नक्शा
- दावे के लिए: सिविल इंजीनियर का पूर्णता प्रमाणपत्र, जीएसटी बिल, सीए प्रमाणन और केंद्र चालू रखने का शपथपत्र

आवेदन कैसे करें

1. खरीद शुरू करने की योजना से कम से कम 30 दिन पहले बोर्ड के आवेदन प्रपत्र (परिचालन दिशानिर्देशों का अनुलग्नक दस) पर अपना प्रस्ताव जमा करें।
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र, सामूहिक गतिविधियों का ब्योरा, भूमि के कागज़, योजना, भवन अनुमति, भाव-पत्र और स्थान नक्शा लगाएँ।
3. केंद्र बनाकर खरीद शुरू करें, फिर शुरू होने के 120 दिनों के भीतर सिविल इंजीनियर के प्रमाणपत्र, जीएसटी बिल और सीए प्रमाणन के साथ प्रतिपूर्ति का दावा भेजें।
4. निरीक्षण के बाद, और पहले तीन महीने के बिक्री रिकॉर्ड व अंकेक्षित विवरण मिलने पर, बोर्ड प्रतिपूर्ति देता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://coconutboard.gov.in/docs/operational-guidelines.pdf#page=57
आधिकारिक आवेदन: https://coconutboard.gov.in/Applicationforms.aspx
आधिकारिक PDF: https://coconutboard.gov.in/docs/operational-guidelines.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/cdb-fpo-procurement-centre-support/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।